न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

526

प्र.कं. /2017 पुनरीक्षण

रोमेश गुप्ता पिता कृष्ण कुमार गुप्ता
निवासी जयरतंभ चौक के पास वार्ड
नं. 11 उमरिया तहसील बांधवगढ जिला
उमरिया (म.प्र.)

..... आवेदक

विरूद्ध

1. सुरेन्द्र सिंह पिता लल्लाकंवर
निवासी वार्ड नं. 5 बस्ती हर्री तहसील जैतपुर
जिला शहडौल (म.प्र.)
2. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, उमरिया

..... अनावेदकगण

न्यायालय कलेक्टर जिला उमरिया (म.प्र.) द्वारा प्र.कं. 29/अ–21/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 04.04.2017 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत पुनरीक्षण।

माननीय महोदय,

आवेदक का निम्नानुसार निवेदन है कि –

संक्षिपत तथ्य

1– यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अवैध अनुचित तथा विधि के उपबंधों के प्रतिकूल होने से प्रथम दृष्टया ही निरस्त योग्य है।

2– यह कि, ग्राम डबरोठा पटवारी हल्का नं. 3 तहसील बांधवगढ जिला उमरिया (म.प्र.) स्थित आ.नं. 288 रकवा 0.267 है. आ.नं. 310 रकवा 0.821है. आ.नं. 311 रकवा 0.308 है., आ. नं. 312 रकवा 0.583 है. आ. नं. 314 रकवा 0.235

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/उमरिया/भू.रा./2017/2508 रोमेश विरूद्ध सुरेन्द्र व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
~~25-01-2019~~ 21.01.2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला उमरिया के प्रकरण क्रमांक 29/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 04-04-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 01-08-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 21.01.2019 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका	

	के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो । 6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के न्यायालय में भेज जाये । 7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये । (आर.के. जैन) 21.01.19 सदस्य	